बाल देखरेख संस्था में मीडिया/अशासकीय संगठन के प्रवेश के संबंध में मानक प्रचलन प्रक्रिया(Standing Operating Procedure)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021) के प्रावधानों के तहत् विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक संरक्षण, सुरक्षा, परामर्श एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न बाल देखरेख संस्था यथा बाल गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, खुला आश्रयगृह एवं सुरक्षित स्थान संचालित है।

1/ **बालक की पहचान के संबंध में प्रावधान**–संस्था में निवासरत बालक/बालिका के फोटो या नाम या पते, या विद्यालय या अन्य किसी विशिष्ट या अन्य कोई सुसंगत जानकारी, जिससे बालक/बालिका की पहचान प्रकट हो सकती है, किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, दृश्य माध्यम या सोशल मिडिया या किसी अन्य रूप में प्रकाशित किया जाना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत् दंडनीय अपराध है।

2/ धारा 74 के उल्लंघन पर **दण्ड**– किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख तक हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा।''

3/ **बाल देखरेख संस्था में मीडिया / भ्रमण/कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों/संस्था के प्रवेश के संबंध में में मानक प्रचालन प्रक्रिया –**

(3.1) समस्त बाल देखरेख संस्था के मुख्य प्रवेश द्वार तथा प्रवेश पंजी पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों का पालन किये जाने संबंधी डिस्प्ले'बोर्ड एवं **समाचार पत्र/पत्रिका / इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होने संबंधी सूचना**'परिशिष्ट –अ'' अनुसार **चस्पा किया जायेगा।**

(3.2) संस्था में भ्रमण/कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों/संस्था से धारा 74 का उल्लंघन नही करने संबंधी स्व प्रमाणित घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में **परिशिष्ट ''ब''** अनुसार प्राप्त किया जायेगा तथा सभी प्रमाण पत्रों का संधारण संस्था द्वारा किया जायेगा।

(3.3) समाचार पत्र/पत्रिका/ इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों का प्रवेश बाल देखरेख संस्था में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि मीडिया को संस्था में प्रवेश करना है तो कारण सहित प्रवेश की अनुमति हेतु आवेदन जिला मजिस्ट्रेट को करना होगा।यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कारण को उपयुक्त पाया जाता है तो वह मीडिया से **परिशिष्ट ''ब'' अनुसार स्व प्रमाणित घोषणा पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही संस्था में प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगा ।**

(3.4) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बिन्दु क्रमांक 3.3 अनुसार प्रदान किये जाने वाले अनुमति पत्र में मीडिया द्वारा संस्थागत बालक/बालिका की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं किये जाने एवं अन्य कोई सुसंगत जानकारी, जिससे बालक/बालिका की पहचान प्रकट हो सकती है, संबंधी **अन्य आवश्यक शर्तो का पालन किये जाने का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा।**

(3.5) किशोर न्याय अधिनियम में प्रावधानित स्टेकहोल्डर/विशिष्ट व्यक्ति के संस्था भ्रमण करने पर उनके साथ आने वाली आगंतुक/मीडिया /अन्य व्यक्ति को संस्थागत बच्चों की गोपनीयता बनाये रखने की जानकारी दिये जाने की समस्त जवाबदारी संस्था के प्रभारी एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी की होगी।

(3.6) संस्था में निवासरत बालक/बालिका के फोटो या नाम या पते, या विद्यालय या अन्य किसी विशिष्ट या अन्य कोई सुसंगत जानकारी (अधिकृत व्यक्ति/संस्था के अतिरिक्त) किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, दृश्य माध्यम या सोशल मीडिया यथा वाट्सऐप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में प्रकाशित नही करेगा, न ही किसी भी व्यक्ति/संस्था को प्रदान करेगा।

(3.7) बाल देखरेख संस्था, जिला बाल संरक्षण इकाई, समस्त स्टेकहोल्डर का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि संस्था में निवासरत/निर्मुक्त बालक/बालिका के फोटो या नाम या पते, या विद्यालय या अन्य किसी विशिष्ट या अन्य कोई सुसंगत जानकारी, जिससे बालक/बालिका की पहचान प्रकट हो सकती है, किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, दृश्य माध्यम या सोशल मिडिया या किसी अन्य रूप में प्रकाशित न की जाये।

(3.8) मीडिया/ अशासकीय संगठन के प्रतिनिधियों/ इंटर्नशिप करने वाले व्यक्तियों को **सी.सी.टी. व्ही कैमरों की रिकार्डिंग नही दिखायी जायेगी।**

(3.9) संस्था द्वारा संस्था में निवासरत/निर्मुक्त बालक/बालिका के संबंध में मीडिया/ अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि/ इंटर्नशिप करने वाले व्यक्तियों को बच्चों के संबंध में ऐसी कोई जानकारी नही दी जायेगी जिससे उनकी निजता एवं गोपनीयता का उल्लंघन हो।

4/विभिन्न कृत्यकारियों के कृत्य एवं उत्तरदायित्व–

(4.1) संस्था के भारसाधक अधिकारी धारा 74 के प्रावधानों का पालन एवं मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित होने की सूचना पटल चस्पा करेगें एवं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का संधारण करेंगे।

(4.2) भारसाधक अधिकारी स्वयं , संस्थागत कर्मचारियों द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन किया जायेगा एवं मीडिया/अशासकीय संगठन/संस्था/ अशासकीय व्यक्ति को अनुमति तथा परिचय पत्र प्राप्त किये बिना संस्था में प्रवेशित नही कराएगा।

(4.3) भारसाधक अधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि किसी आगंतुक द्वारा गोपनीयता की मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नही किया गया है अथवा घोषणा पत्र का उल्लंघन किया गया है तो वह इसकी सूचना तत्काल जिला बाल संरक्षण अधिकारी को देगा।

(4.4) जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिले में संचालित समस्त बाल देखरेख संस्था में मीडिया के प्रवेश हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करवायेगा तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

(4.5) व्यक्ति/संस्था/मीडिया द्वारा गोपनीयता की मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन नही किये जाने की जानकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी/ किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आने पर वह आवश्यक जांच किये जाने के उपरांत संबंधित के विरूद्ध अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही करेगा तथा इसकी सूचना राज्य बाल संरक्षण इकाई, एवं जिला मजिस्ट्रेट, को प्रेषित करेगा।

.....00.....

परिशिष्ट – ब

स्व प्रमाणित घोषणा पत्र

मैं/हम/ ..... पुत्र/पुत्री.....उम्र..... निवास का पता एवं संपर्क क्रमांक..... अथवा संस्था का नाम..... कार्यस्थल का पता एवं संपर्क क्रमांक(जो लागू हो उसकी पूर्ति करे)

घोषणा करते है कि बाल देखरेख संस्था..... (नाम एवं पता) में निवासरत बालक/बालिका की फोटो, नाम, निवास के पते, प्रकरण या अन्य सुसंगत जानकारी जिससे उनकी पहचान प्रकट हो सकती है को किसी सोशल मिडिया/पत्र/पत्रिका या अन्य को माध्यम से सार्वजनिक की जाती है तो मेरे/हमारे/संस्था के विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन अधिनियम, 2021) की धारा 74 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

"मुझे ज्ञात है कि किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख तक हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा।"

स्थान

दिनांक

आवेदक/संस्था का नाम
पता एवं संपर्क क्रम
हस्ताक्षर/पदमुद्रा

परिशिष्ट - अ

सूचना पटल

धारा 74 अंतर्गत दण्डनीय अपराध श्रेणी

संस्था में निवासरत बालक/बालिका के फोटो या नाम या पते, या विद्यालय या अन्य किसी विशिष्ट या अन्य कोई सुसंगत जानकारी, जिससे बालक/बालिका की पहचान प्रकट हो सकती है, किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, दृश्य माध्यम या सोशल मिडिया या किसी अन्य रूप में प्रकाशित किया जाना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत् दंडनीय अपराध है।

किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख तक हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा।

जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर

नोट - 1- उपरोक्त कलर एवं आकार- 2 फिट X 4 फिट में सूचना पटल बनाया जाये ।

2- संस्था के मुख्यद्वार अथवा विजीटर्स रजिस्ट्रेशन स्थल के पीछे वॉल पेंटिंग या बोर्ड लगाया जाये एवं लगाये जाने की सूचना मय फोटो के संचालनालय प्रेषित किये जाये ।